Office Order No. HO/066/008 **31.03.2021**

विषय : कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति
Sub: Corporate Social Responsibility Policy
संदर्भ - कार्यालय आदेश सं. प्रका/066/007 दिनांक 08.05.2020 (यथा संशोधित)
Ref: Office Order No. HO/066/007 dated 08.05.2020 (as amended).

-o0o-

1.0 परिचय / Introduction:

1.1 कार्पोरेट सामाजिक दायित्व से आशय विभिन्न कारोबारी कार्यकलापों में मुख्य भागीदारों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक रूप से उत्तरदायी ढंग से कारोबार संचालित करने से है।
Corporate Social Responsibility (CSR) is about conducting business in a socially responsible way, keeping the needs and expectations of the key stakeholders in focus in various business activities.

1.2 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 27-02-2014 द्वारा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 जारी किया है जो दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से लागू हुए हैं। इसके अलावा, एम.सी.ए. ने अपनी अधिसूचना दिनांक 22-01-2021 द्वारा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 जारी किया है जो दिनांक 22 जनवरी, 2021 से लागू हुए हैं। केंद्र सरकार का उद्यम होने के नाते ये नियम बीईएल पर लागू होते हैं।
Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide Notification Dt: 27-02-2014 brought out the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 which has come into force from 1st April, 2014. Further, MCA has vide Notification Dt. 22-01-2021 brought out the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 which has come into force from 22nd January, 2021. These Rules are applicable to BEL being a Central Public Sector Enterprise.

1.3 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्रों में विभिन्न पहल करने में सक्रिय रही है।
Bharat Electronics Ltd (BEL) is proactive in taking various initiatives in the areas of Corporate Social Responsibility.

1.4 इस कार्यालय आदेश में वर्णित उक्त सी.एस.आर. नीति कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135 और अनुसूची VII) और उसके संशोधन, कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) के संशोधित नियम, 2021 और डी.पी.ई. के दिशा-निर्देश पर आधारित है। उक्त नियमों / दिशा-निर्देशों में किए जाने वाले अनुवर्ती परिवर्तनों को इस कार्यालय आदेश में विधिवत् शामिल किया जाएगा।
The CSR Policy enumerated in this Office Order is based on the Companies Act, 2013 (Section 135 & Schedule VII) and amendments thereof, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 and Government Guidelines. Any subsequent amendment to the above Rules/Guidelines shall be duly incorporated in this Office Order.

2.0 नीति कथन / Policy Statement:

2.1 बीईएल एक कार्पोरेट स्वत्व के रूप में अपनी भूमिका और दायित्वों को समझती है और ऐसे समुदायों के सामाजिक व आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने का निरंतर प्रयास करती है जिसमें यह सी.एस.आर. पहलों के माध्यम से संचालन करती है।
BEL recognizes its role and responsibility as a corporate entity and constantly endeavors to actively participate in the social and economic development of the communities in which it operates through CSR initiatives.

2.2 बीईएल अपने सी.एस.आर. संबंधी कार्यकलापों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय ढंग से करने के लिए, जो पारदर्शी और नैतिक हैं, अपने पणधारकों को लिए प्रतिबद्ध है।
BEL is committed to its stakeholders to conduct CSR activities in an economically, socially and environmentally sustainable manner that is transparent and ethical.

2.3 सी.एस.आर. संबंधी कार्यकलापों में ऐसी पहल शामिल होंगे जो संधारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर लक्षित हैं।
CSR activities shall include initiatives which aim at achieving sustainable development goals.

3.0 उद्देश्य / Objectives:

3.1 विभिन्न परिवेशों की पहचान करने और समाधान प्रस्तुत करने तथा प्रौद्योगिकी आवर्धिक करने की बीईएल की क्षमता का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय परितंत्र जिनमें बीईएल कार्यरत है, में अभिचिह्नित समस्याओं को दूर करने में किया जाएगा।
BEL's capacity to identify and provide solutions in diverse environments, leveraging technology, will be used to address identified issues in the social, economic and environmental ecosystem that the company operates in.

3.2 प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं / संगोष्ठियों आदि द्वारा संगठन में सी.एस.आर. और संधारणीयता पर जागरूकता पैदा करना।
Creating awareness on CSR within the organization through trainings / workshops / seminars etc.

3.3 क्षमता निर्माण के उपाय, गरीब और निचले तबके के वर्गों / समुदायों के सशक्तीकरण द्वारा समाज में समावेशी विकास, सतत् और साम्या विकास के प्रति योगदान देना।
Contributing to inclusive growth, sustained and equitable development in society through capacity building measures, empowerment of the marginalized and underprivileged sections / communities.

4.0 कार्यक्षेत्र / Scope:

4.1 कंपनी की सी.एस.आर. पहल से समाज की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए चुनी गई परियोजनाएँ कंपनी की कारोबारी यूनिटों के आसपास पूरी की जाएँगी तथा / या अन्य पिछड़े क्षेत्र जैसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित देश के आकांक्षी जिलों में पूरी की जाएँगी।
The CSR initiatives of the company shall address social, economic and environmental concerns of the society. The projects undertaken to address these concerns shall either be in the vicinity of company's business Units and/or other backward areas, such as Aspirational districts, of the country as defined by the Government of India.

4.2 विशेष मामलों में, जहाँ ऐसी परियोजनाएँ पर्यावरण या समाज के अधिक व्यापक लोगों पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, वहाँ उपर्युक्त पैरा 4.1 में की गई अपेक्षाओं के तहत शामिल न होने पर भी ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर विचार किया जा सकता है।
In special cases, where the projects have a potential to make significant positive impact on the environment or lives of a larger society, such projects may be considered even though they may not be covered under the requirements of Clause 4.1 above.

5.0 परिभाषाएँ Definitions:

5.1 "कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)" से आशय कंपनी (सी.एस.आर. नीति) नियम में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 में निर्धारित इसके संवैधानिक दायित्वों के तारतम्य में कंपनी द्वारा किए गए कार्यकलापों से है, परंतु इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, नामत: -
"Corporate Social Responsibility (CSR)" means the activities undertaken by the Company in pursuance of its statutory obligation laid down in Section 135 of the Act in accordance with the provisions contained in the Companies (CSR Policy) Rules, but shall not include the following, namely: -

(i) कंपनी के सामान्य कारोबार के अनुसरण में किए जाने वाले कार्यकलाप;

activities undertaken in pursuance of normal course of business of the company;

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या संघीय प्रांत अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण को छोड़कर कंपनी द्वारा भारत से बाहर किए गए कार्य;

any activity undertaken by the company outside India except for training of Indian sports personnel representing any State or Union territory at national level or India at international level;

(iii) अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी राजनैतिक दल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी राशि का अंशदान;

contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act;

(iv) वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (के) में यथा परिभाषित, कंपनी के कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाले कार्य;

activities benefitting employees of the company as defined in clause (k) of section 2 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(v) कंपनी द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन अनुलाभ प्राप्त करने हेतु प्रायोजन आधार पर समर्थित कार्यकलाप;

activities supported by the companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits for its products or services;

(vi) भारत में लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए कार्यकलाप;

activities carried out for fulfillment of any other statutory obligations under any law in force in India.

5.2 "सी.एस.आर." से आशय अधिनियम की धारा 135 में संदर्भित मंडल की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति से है।
"CSR Committee" means the Corporate Social Responsibility Committee of the Board referred to in Section 135 of the Act.

5.3 "चालू परियोजना" से आशय कंपनी द्वारा अपने सी.एस.आर. दायित्वों को पूरा करने में ली गई बहु-वर्षीय ऐसी परियोजना से है जिसकी समय-सीमा वित्तीय वर्ष जिसमें वह शुरु की गई है, को छोड़कर तीन वर्षों से अधिक की नहीं है और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जो प्रारंभ में बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं थी परंतु जिसकी समय-अवधि को उचित कारण देते हुए मंडल द्वारा एक वर्ष से अधिक की समय-अवधि तक बढ़ाया गया है।
"Ongoing Project" means a multi-year project undertaken by the Company in fulfillment of its CSR obligation having timelines not exceeding three years excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was initially not approved as a multi-year project but whose duration has been extended beyond one year by the Board based on reasonable justification.

5.4 "प्रशासनिक ऊपरीव्यय" से आशय ऐसे व्यय से है जो कंपनी द्वारा कंपनी में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन एवं प्रशासन' के लिए किए जाते हैं परंतु इनमें ऐसे व्यय शामिल नहीं होंगे जो किसी विशेष कार्पोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना या प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग, कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं।

"Administrative overheads" means the expenses incurred by the company for 'general management and administration' of Corporate Social Responsibility functions in the company but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring, and evaluation of a particular Corporate Social Responsibility project or programme.

6.0 <u>पहल के क्षेत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और उसके संशोधन के अनुसार)-</u>
<u>Areas of Initiatives (in line with Schedule VII of Companies Act, 2013 & amendments thereof):</u>

6.1 बीईएल निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में सी.एस.आर. की पहल करेगी -
BEL shall take up CSR initiatives in the following broad areas:

6.1.1 भूखमरी, गरीबी और कुपोषण मिटाना, निवारणात्मक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाना और साफ-सफाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोश के प्रति योगदान सहित स्वच्छता बढ़ाना और सुरक्षित पेयजल मुहय्या कराना;
Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive health care and sanitation, including contribution to the Swachh Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water;

6.1.2 विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाले रोजगार बढ़ाना, विशेषकर बच्चों, महिलाओं, अधेड़ और दिव्यांग लोगों के लिए और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएँ;
Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently-abled and livelihood enhancement projects;

6.1.3 लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए अनाथालय और छात्रावास संस्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर केंद्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएँ संस्थापित करना और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना की जा रही विसंगतियों को कम करने के उपाय करना;
Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans, setting up old age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;

6.1.4 पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना, वनस्पति और जीव-जंतुओं की रक्षा करना, प्राणी कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और गंगा नदी के पुनरोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि के प्रति योगदान सहित मिट्टी, हवा और पानी की गुणता बनाए रखना;
Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro-forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water, including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga;

6.1.5 ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और स्थलों के जीर्णोद्धार सहित प्राकृतिक विरासत और कलाकृतियों का संरक्षण करना, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास करना;
Protection of natural heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art, setting up public libraries, promotion and development of traditional arts and handicrafts;

6.1.6 सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्धजनित विधवाओं और उनके आश्रितों के हितार्थ उपाय करना; केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) तथा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं सहित उनके आश्रितों के हितार्थ उपाय करना;
Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents; Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows;

6.1.7 ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय खेलों, पैरालिम्पिक खेलों और ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना;
Training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympic sports and Olympic sports;

6.1.8 प्रधान मंत्री राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात परिस्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स निधि) या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत एवं कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान देना;
Contribution to the Prime Minister's Relief Fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;

6.1.9 (a) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त-पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी या चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए योगदान; तथा
Contribution to incubators or Research and Development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

(b) सरकार द्वारा वित्त-पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.); राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के तहत संस्थापित स्वशासी निकाय; जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.); विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); भैषज विभाग – आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होमियोपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य निकाय जैसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) को अंशदान जो संधारणीय विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को संवर्धित करने पर लक्षित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा में अनुसंधान कार्य करने में लगे हैं।
Contributions to public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defense Research and Development Organisation (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs).

6.1.10 ग्रामीण विकास परियोजनाएँ / Rural Development Projects;

6.1.11 गंदी बस्ती का विकास / Slum area development;

उदाहरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ, पदबंध 'गंदी बस्ती' से आशय ऐसे क्षेत्र से होगा जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या वर्तमान में लागू किसी विधि के तहत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
Explanation - For the purpose of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force.

6.1.12 आपदा प्रबंधन जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण संबंधी कार्य शामिल हैं।
Disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

6.2 उक्त क्षेत्रों में की जाने वाली पहलों का चयन क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तीकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित व ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और समाज के गरीब और निचले तबके के उत्थान पर लक्षित होगा।
The selection of the initiatives in above areas will be aimed towards capacity building, empowerment of communities, inclusive socio-economic growth, environment protection, promotion of green and energy efficient technologies, development of backward regions and upliftment of the marginalized and under-privileged sections of the society.

6.3 वैयक्तिक प्रस्तावों के गुणावगुण के आधार पर कंपनी अन्य क्षेत्रों में भी की जाने वाली सीएसआर पहलों को स्वीकार करने पर निर्णय ले सकती है।

The Company may decide to take up CSR initiatives in other areas also based on the merit of individual proposals.

7.0 सीएसआर कार्यकलाप संबंधी दिशा-निर्देश / Guidelines for CSR Activities:

7.1 कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके संशोधन

The Companies Act, 2013 and amendments thereof:

7.1.1 सी.एस.आर. निधि प्रबंधन -

CSR Fund Management:

7.1.1.1 मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपनी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करती है।

The Board shall ensure that the Company spends, in every Financial Year, at least 2% of average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy:

बशर्ते कि कंपनी सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए चिह्नित राशि को खर्च करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और इसके प्रचालन के आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देगी।

Provided that the Company shall give preference to the local area and areas around it where it operates for spending the amount earmarked for CSR activities:

इसके अलावा इस शर्त पर कि यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल होती है तो मंडल अपनी रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारणों का उल्लेख करेगा और जब तक कि ऐसी खर्च न की गई राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीनों की अवधि के भीतर, अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि को अंतरित करेगा।

Provided further if the Company fails to spend such amount, the Board shall, in its report, specify the reasons for not spending the amount, and unless the unspent amount relates to any ongoing project, transfer such unspent amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.

7.1.1.2 कंपनी द्वारा अपनी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार, किसी निर्धारित शर्तों को पूरा करने में किसी चालू परियोजना के तारतम्य में, खर्च करने के लिए शेष कोई राशि वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों के भीतर कंपनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में जिसे खर्च न किया गया कार्पोरेट सामाजिक दायित्व खाता कहा जाएगा, उस वित्तीय वर्ष के लिए इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा खोले गए एक विशेष खाते को अंतरित कर दिया जाएगा और ऐसी राशि ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में कंपनी द्वारा खर्च की जाएगा अन्यथा कंपनी तृतीय वित्तीय वर्ष पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि को अंतरित कर दी जाएगी।

Any amount remaining unspent, pursuant to any ongoing project, fulfilling such conditions as may be prescribed, undertaken by the company in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy, shall be transferred by the company within a period of thirty days from the end of the financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for that financial year in any scheduled bank to be called the Unspent Corporate Social Responsibility Account, and such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards the Corporate Social Responsibility Policy within a period of three financial years from the date of such transfer, failing which, the company shall transfer the same to a Fund specified in Schedule VII, within a period of thirty days from the date of completion of the third financial year.

7.2 कंपनी (सी.एस.आर. नीति) नियम, 2014 एवं कंपनी (सी.एस.आर. नीति) संशोधन नियम, 2021 - Companies (CSR Policy) Rules, 2014 & Companies (CSR Policy) Amendment Rules, 2021:

7.2.1 सी.एस.आर. कार्यान्वयन / CSR Implementation:

7.2.1.1 सी.एस.आर. कार्यकलाप कंपनी द्वारा स्वयं किए जाएँगे या इनके माध्यम से किए जाएँगे -
The CSR activities are to be undertaken by the Company itself or through -

(i) अधिनियम की धारा के तहत स्थापित कंपनी या कंपनी द्वारा एकल रूप से या किसी अन्य कंपनी द्वारा स्थापित, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12ए और 80जी के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी, या
a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, registered under section 12A and 80 G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), established by the company, either singly or along with any other company, or

(ii) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी; या
A company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government; or

(iii) संसद या किसी राज्य विधान के अधिनियम द्वारा स्थापित कोई स्वत्व; या
any entity established under an Act of Parliament or a State legislature; or

(iv) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए और 80 जी के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी तथा जिसका इसी प्रकार के कार्य करने में कम से कम तीन वर्षों की स्थापित पिछली उपलब्धियाँ हो।
a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, registered under section 12A and 80G of the Income Tax Act, 1961, and having an established track record of at least three years in undertaking similar activities.

7.2.1.2 कंपनी अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं या प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग, निगरानी और मूल्यांकन के लिए और साथ ही, सी.एस.आर. के लिए अपने कार्मिकों का क्षमता निर्माण करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नियोजित कर सकती है।
The Company may engage international organizations notified by the Central Government under section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), for designing, monitoring and evaluation of the CSR projects or programmes as per its CSR policy as well as for capacity building of their own personnel for CSR.

7.2.1.3 कंपनी परियोजनाओं या प्रोग्राम या सी.एस.आर. कार्यकलाप इस प्रकार कार्यान्वित करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग भी कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सी.एस.आर. समितियाँ इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या प्रोग्राम पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।
The Company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programmes or CSR activities in such a manner that the CSR Committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programmes in accordance with these rules.

7.2.1.4 कंपनी का मंडल इस बात पर स्वयं को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और ढंग से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी व्यक्ति इस आशय का प्रमाणन करेगा।
The Board of the Company shall satisfy itself that the funds so disbursed have been utilized for the purposes and in the manner as approved by it and the Chief Financial Officer or the person responsible for financial management shall certify to the effect.

7.2.1.5 चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का मंडल अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र स्वीकार्य समय-अवधि के भीतर परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने में सक्षम होगा।

In case of ongoing project, the Board of the Company shall monitor the implementation of the project with reference to the approved timelines and year-wise allocation and shall be competent to make modifications, if any, for smooth implementation of the project within the overall permissible time period.

7.2.2 <u>सी.एस.आर. समितियाँ / CSR Committees:</u>

सी.एस.आर. समिति अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और उसकी संस्तुति मंडल को करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

The CSR Committee shall formulate and recommend to the Board, an annual action plan in pursuance of its CSR policy, which shall include the following, namely: -

(i) सी.एस.आर. परियोजनाओं या प्रोग्रामों की सूची जो अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में किए जाने के लिए अनुमोदित हैं;
the list of CSR projects or programmes that are approved to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule VII of the Act;

(ii) ऐसी परियोजनाओं या प्रोग्रामों के निष्पादन का तरीका;
the manner of execution of such projects or programmes;

(iii) निधियों का उपयोग करने की कार्यप्रणाली और परियोजनाओं या प्रोग्रामों के कार्यान्वयन की अनुसूची;
the modalities of utilisation of funds and implementation schedules for the projects or programmes;

(iv) परियोजनाओं या प्रोग्रामों की निगरानी और रिपोर्टिंग करने की कार्यप्रणाली; तथा
monitoring and reporting mechanism for the projects or programmes; and

(v) कंपनी द्वारा ली गई परियोजनाओं की आवश्यकता और प्रभाव, यदि कोई हो, के विवरण -
details of need and impact assessment, if any, for the projects undertaken by the company:

परंतुक यह कि मंडल अपनी सी.एस.आर. समिति की सिफारिशों के अनुसार, इस आशय के उचित कारण के आधार पर, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में संशोधन कर सकता है।

Provided that the Board may alter such plan at any time during the financial year, as per the recommendation of its CSR Committee, based on the reasonable justification to that effect.

7.2.3 <u>सी.एस.आर. व्यय / CSR Expenditure:</u>

7.2.3.1 प्रशासनिक ऊपरीव्यय वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सी.एस.आर. व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

The administrative overheads shall not exceed five percent of total CSR expenditure of the company for the financial year.

7.2.3.2 सी.एस.आर. कार्यकलापों के कारण सृजित अधिशेष राशि कंपनी के कारोबारी लाभ का हिस्सा नहीं बनेगी और उसका उपयोग उसी परियोजना में वापस किया जाएगा या उसे खर्च न की गए सी.एस.आर. खाते में अंतरित किया जाएगा और सी.एस.आर. नीति तथा कंपनी की वार्षिक कार्य योजना के तारतम्य में खर्च किया जाएगा अथवा ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीनों के भीतर, अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित किया जाएगा।

Any surplus arising out of the CSR activities shall not form part of the business profit of the company and shall be ploughed back into the same project or shall be transferred to the Unspent CSR Account and spent in pursuance of CSR policy and annual action plan of the company or transfer such surplus amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.

7.2.3.3 यदि कंपनी खंड 7.1.1 में उल्लिखित आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है तो ऐसी अतिरिक्त राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उत्तरवर्ती तीन वित्तीय वर्षों तक खर्च करने की आवश्यकता के समक्ष समायोजित की जाएगी -

Where the company spends an amount in excess of requirement mentioned in Clause 7.1.1, such excess amount may be set off against the requirement to spend upto immediate succeeding three financial years subject to the conditions that –

(i) समायोजन के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में सी.एस.आर. कार्यकलापों के कारण सृजित अधिशेष राशि शामिल नहीं की जाएगी।

the excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of the CSR activities.

(ii) कंपनी का मंडल इस आशय के लिए संकल्प पारित करेगा।

The Board of the company shall pass a resolution to that effect.

7.2.3.4 सी.एस.आर. की राशि कंपनी द्वारा पूँजी परिसंपत्ति सृजित करने या अर्जित करने के लिए की जाएगी जिसे निम्नलिखित द्वारा धारित किया जाएगा -

The CSR amount may be spent by the company for creation or acquisition of a capital asset, which shall be held by –

(i) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी जिसका धर्मार्थ उद्देश्य हो और सी.एस.आर. पंजीकरण संख्या हो

a company established under section 8 of the Act, or a Registered Public Trust or Registered Society, having charitable objects and CSR Registration Number

(ii) स्व-मदद समूह, सामूहिक, स्वत्वों के रूप में उक्त सी.एस.आर. परियोजना के हितलाभी; या

Beneficiaries of the said CSR project, in the form of self-help groups, collectives, entities; or

(iii) सार्वजनिक प्राधिकारी / a public authority.

7.2.4 <u>सी.एस.आर. की रिपोर्टिंग और प्रकटण / CSR Reporting & Disclosures:</u>

7.2.4.1 कंपनी सी.एस.आर. की ऐसी परियोजनाओं का किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन करवाएगी जिनका परिव्यय एक करोड़ रुपए या उससे अधिक का है और जिसे प्रभाव अध्ययन कराने से पहले एक वर्ष से कम समय में पूरा किया गया है।

The Company shall undertake impact assessment, through an independent agency, of its CSR projects having outlays of one crore rupees or more, and which have been completed not less than one year before undertaking the impact study.

प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मंडल के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे सी.एस.आर. की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

The impact assessment reports shall be placed before the Board and shall be annexed to the annual report on CSR.

प्रभाव मूल्यांकन पर किए गए व्यय को उस वित्तीय वर्ष के लिए सी.एस.आर. व्यय के रूप में दिखाया जाएगा और ऐसा व्यय उस वित्तीय वर्ष के कुल सी.एस.आर. व्यय के पाँच प्रतिशत या पचास लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, होगा।

The expenditure incurred towards impact assessment may be booked as CSR expenditure for that financial year and shall not exceed five percent of the total CSR expenditure for that financial year or fifty lakh rupees, whichever is less.

7.2.4.2 कंपनी का मंडल सी.एस.आर. समिति का संघटन तथा मंडल द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर. नीति व परियोजनाएँ सार्वजनिक के लिए वेबसाइट पर प्रकट किए जाएंगे।

The Board of the Company shall disclose the composition of the CSR Committee and CSR Policy and Projects approved by the Board on the website, for public access.

8.0 <u>संगठनात्मक संरचना और संवैधानिक अनुपालन -</u>

<u>**Organization Structure & statutory compliances :**</u>

8.1 नीचे दिए गए अनुसार दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना कंपनी की सी.एस.आर. पहलों को निर्देशित करेगी -
A two-tier organization structure, as given below, shall steer the CSR initiatives in the company.

(i) निदेशक मंडल / Board of Directors

(ii) मंडल की सी.एस.आर. समिति / CSR Committee of the Board

मंडल की सी.एस.आर. समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (समिति के अध्यक्ष के रूप में), निदेशक (वित्त), और मुख्य वित्त अधिकारी, निदेशक (एच.आर.), निदेशक (अन्य यूनिटें) और एक स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होंगे और कंपनी सचिव समिति के सचिव होंगे।

The CSR Committee of the Board shall consist of Chairman & Managing Director (as Chairman of the Committee), Director (Finance) & Chief Financial Officer, Director (HR), Director (Other Units) & One Independent Director as its members with the Company Secretary as the Secretary to the Committee.

8.2 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक इस दस्तावेज में दिए ए दिशा-निर्देशों के अनुसार सी.एस.आर. के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे और सभी मूल्यांकित सी.एस.आर. प्रस्तावों को मंडल की सी.एस.आर. समिति के समक्ष उसकी समीक्षा, विचार करने और संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रखेंगे। मंडल की सी.एस.आर. समिति द्वारा संस्तुत सी.एस.आर. परियोजनाएँ निदेशक मंडल के समक्ष उसके अनुमोदन के ले रखी जाएँगी।

The Chairman & Managing Director may evaluate the CSR proposals as per the guidelines given in this document & shall place all the evaluated CSR Proposals to CSR Committee of the Board for its review, consideration & for ensuring compliance with the statutory requirements. The CSR Projects recommended by the CSR Committee of the Board shall be put up to the Board of Directors for approval.

8.3 कंपनी अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी अनुपालन प्रबंध के उद्देश्य से, निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ. की अध्यक्षता में, आमंत्रिती के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक (वरीयत: ऐसे स्वतंत्र निदेशक जो मंडल की सी.एस.आर. समिति के सदस्य हैं), सदस्यों के रूप में कार्पोरेट एच.आर. प्रमुख, कार्पोरेट वित्त प्रमुख और कंपनी सचिव को शामिल करते हुए एक निगरानी समिति गठित की जाएगी जो आवश्यक संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कंपनी के अनुमोदित सी.एस.आर. परियोजनाओं से संबंधित सभी कार्यकलापों की निगरानी करेगी। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक इस निगरानी समिति द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों का निदेश दे सकते हैं।

For the purpose of effective compliance management in terms of the Companies Act, a Monitoring Committee will be constituted under the Chairmanship of Director (Finance) & CFO, one Independent Director (preferably a Independent Director who is member of CSR Committee of the Board) as an Invitee, Head of Corporate HR, Head of Corporate Finance and Company Secretary as its Members and the said Committee shall monitor all activities pertaining to the approved CSR projects of the Company for the purpose of ensuring requisite statutory compliances. The Chairman & Managing Director may direct for any other functions to be performed by the Monitoring Committee.

8.4 वित्तीय वर्ष से संबंधित मंडल की रिपोर्ट में सी.एस.आर. पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल की जाएगी जिसमें इस नीति के **अनुलग्नक-1** (संबंधित संलग्नकों के साथ) में निर्दिष्ट विवरण, लागू होने की सीमा तक, होंगे।

The Board's Report pertaining to a Financial Year shall include an annual report on CSR, containing particulars as specified in the **Annexure-1** (along with enclosures) to this policy, to the extent, as may be applicable.

8.5 निदेशक (एच.आर.), निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव प्रधान अधिकारी होंगे जो कंपनी की सी.एस.आर. कार्यसूची को कार्यान्वित करने संबंधी सभी संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

Director (HR), Director (Finance) & Chief Financial Officer and Company Secretary will be the principal officers who shall be responsible for ensuring requisite compliance with all the

statutory requirements in implementing the CSR agenda of the Company.

9.0 बजट / Budget:

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, सीएसआर खर्च का बजटीय आवंटन पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभों का कम से कम 2% होगा। औसत निवल लाभ का परिकलन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इस बजटीय आवंटन का अनुमोदन मंडल की सी.एस.आर. समिति की सिफारिश पर मंडल द्वारा किया जाएगा। कंपनी सी.एस.आर. कार्यकलापों पर अपने व्यय को अधिकतम करने का हरसंभव प्रयास करेगी।

In every Financial Year, the budgetary allocation for CSR expenditure shall be at least 2% of average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years. 'The average Net profit' shall be calculated in accordance with the provision of Section 198 of the Companies Act, 2013 and amendments thereof. This budgetary allocation will need to be approved by the Board on recommendation of CSR Committee of the Board. The company shall strive to maximize its spending on CSR activities.

10.0 परियोजना का प्रस्ताव (अनुलग्नक-2) / Project Proposal (Annexure-2):

10.1 बजट का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने और सीएसआर कार्यकलापों के दिखने वाले और उल्लेखनीय प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, बीईएल अपेक्षाकृत ऐसी कम परियोजनाओं पर ध्यान देगी जो अपने आकार और प्रभाव के संदर्भ में मापनीय हैं।

In order to utilize the budget judiciously and ensure the visibility and noticeable impact of the CSR activities, BEL would focus on projects, which are scalable in terms of their size and impact.

10.2 परियोजनाओं का चुनाव वरीयत: कंपनी के सी.एस.आर. कार्यों से लाभान्वित होने वाले पणधारकों की अभिचिह्नित आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। सभी मामलों में आधारभूत सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि आंतरिक रूप से किए गए मूल्यांकन अध्ययन या किसी दूसरे स्रोत जिसे विश्वसनीय माना जाए, की रिपोर्ट के माध्यम से पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हों।

The choice of projects will preferably be based on the identified needs of the stakeholders likely to be benefited from company's CSR activities. Baseline survey may be carried out for projects which are scalable in terms of their size and impact. Baseline survey need not be resorted to in all cases provided there is enough documentary evidence for having got the need assessment study done either internally or through reports from secondary source which can be termed as credible.

11.0 परियोजना का निष्पादन / Project Execution:

11.1 सीएसआर परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन सामान्य रूप से संस्थागत टीमों द्वारा या राज्य सरकार, पीएसयू, एनजीओ, निजी कंपनियों के साथ उचित साझेदारी करते हुए किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए बीईएल की जनशक्ति का ही उपयोग किया जाएगा।

Execution of CSR projects can be taken up generally by in-house teams or through suitable partnerships with State Governments, PSUs, NGOs, Private Companies, International Organisations. As far as possible, BEL's manpower should be committed only for monitoring and supervision.

11.2 बाहरी एजेंसियों को नियुक्त करते समय / के साथ साझेदारी करते समय, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि केवल ऐसी विशिष्ट एजेंसियों का चयन किया जाए जिनके पास संबंधित क्षेत्र की आवश्यक सक्षमताएँ और विशेषज्ञता हो। ऐसी विशिष्ट एजेंसियों में सरकारी विभाग, अर्ध-सरकारी या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वशासी संगठन, पेशेवर सलाहकार संगठन, पंजीकृत ट्रस्ट / मिशन, समुदाय आधारित संगठन, सेल्फ-हेल्प ग्रूप, अलाभार्थ संगठन, पंचायती राज संस्थान, शैक्षिक संस्थान, अंतरराष्ट्रीय संगठन आदि शामिल हो सकते हैं।

While engaging / partnering with external agencies, care shall be exercised in selecting only such specialized agencies which have the necessary capabilities and expertise in the field. Specialized agencies may include Government departments, semi-Government or Non-Government Organizations (NGOs), autonomous organizations, professional consultancy organizations, registered Trusts/Missions, Community based organizations, self-help groups,

not for profit organizations, Panchayati Raj institutions, academic institutes, International Organisations etc.

12.0 संप्रेषण की रणनीति / Communication Strategy:

12.1 कंपनी अपने प्रमुख भागीदारों के साथ नियमित संवाद करेगी और उनसे परामर्श करेगी ताकि सीएसआर परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में उनके विचार और प्राथमिकताओं को जाना जा सके।
Company shall establish regular dialogue and consultation with its key stakeholders to ascertain their views and priorities regarding the selection and implementation of CSR Projects.

12.2 सीएसआर के क्षेत्र में परियोजना शुरु करने, परियोजना पूरा करने या किसी सुविधा का उद्घाटन करने जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान, कार्पोरेट संप्रेषण प्रभाग मीडिया कार्मिकों को आमंत्रित करते हुए और प्रिंट मीडिया, टीवी चैनलों आदि में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।
During important events such as launching a project, completion of a project or inauguration of a facility in the area of CSR, Corporate Communications Division shall give wide publicity to the event through invitation to the media personnel and issue of press release in the print media, TV channels etc.

12.3 कंपनी अपने नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाओं आदि के ज़रिए सीएसआर एवं एसडी पहलों के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें इनके प्रति संवेदनशील बनाने के कदम उठाएगी।
Company shall take steps to create awareness and sensitize employees on CSR initiatives through regular training, workshops etc.

12.4 कंपनी की सीएसआर पहल कार्पोरेट संप्रेषण प्रभाग द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
The CSR initiatives of the company shall be displayed on the company's website by the Corporate Communications Division.

12.5 कार्पोरेट संप्रेषण प्रभाग कार्पोरेट गृह पत्रिका में कंपनी की सीएसआर पहलों के बारे में विशेष लेख प्रकाशित करेगा।
Corporate Communications Division shall also bring out special articles on CSR initiatives of the company in the Corporate House Journal.

12.6 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सीएसआर संबंधी सभी कार्यकलापों का प्रकटण अनिवार्य है। तदनुसार, कंपनी की सीएसआर पहल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।
As per Companies Act, 2013 disclosure of all CSR activities is mandatory. Accordingly, the CSR initiatives of the company shall be included in the Annual Report of the company.

13.0 अनुप्रयोज्यता / Applicability:

यह नीति तत्काल रूप से प्रभावी होते हुए लागू होगी और यह "सीएसआर एवं निर्वहनीयता" जिसे कार्यालय आदेश सं. प्रका/066/007 दिनांक 08.05.2020 द्वारा जारी किया गया था, पर विद्यमान नीति को अधिक्रमित करती है।
This Policy will come into force with immediate effect and will supersede the existing Policy on "CSR & Sustainability" which was issued vide OO No. HO/066/007 dated 08.05.2020.

विक्रमन राव
N.V.

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
GENERAL MANAGER (HR)

ई.डी. / जी.एम./ सी.टी.ओ./ सी.एस. **EDs / GMs / CTO / CS**
यूनिट एच.आर. / वित्त प्रमुख **UNIT HR/FINANCE HEADS**
आर.ओ. / एम.सी. प्रमुख **RO / MC HEADS**
कंपनी सचिव **COMPANY SECRETARY**

सीएमडी	डी (मार्केटिंग)	डी (बी सी)	डी (एच आर)	डी (ओ यू)	डी (एफ)	डी (आर एंड डी)	सीवीओ
CMD	**D(MKTG)**	**D(BC)**	**D(HR)**	**D(OU)**	**D(F)**	**D(R&D)**	**CVO**

अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन को अथवा इसके पश्चात् आरंभ वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

1. कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में मुजरे के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे हेतु

अपेक्षित राशि, यदि कोई है :

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों का सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली राशि, यदि कोई हो

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख-7ग)

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति – सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						

											नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1												
2												
3												
	कुल											

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(1) क्र.सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	(5) परियोजना की अवस्थिति		(6) वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	(7) कार्यान्वियन की रीति – सीधे (हां/नहीं)	(8) कार्यान्वियन की रीति – कार्यान्वियन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1									
2									
3									
	कुल								

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि।

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।

(च) वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ) के लिए खर्च की गई कुल राशि।

(छ) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि

क्र.सं.	विशिष्टी	रकम (रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	
(v)	सेट ऑफ [(iii)-(iv)] के लिए उपलब्ध राशि	

9. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
1							
2							
3							
	कुल						

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा :

क्र.सं.	परियोजना पहचान	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित संचयी राशि	परियोजना की स्थिति – पूर्ण की गई / चालू है
1								
2								
3								
	कुल							

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। (परिसंपत्ति-वार ब्यौरा)

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तारीख

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि

(ग) उस कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्यौरा जिसके नाम से ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्ट्रीकृत है, उनका पता इत्यादि।

(घ) सृजित अथवा अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का ब्यौरा प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और अवस्थिति सहित)

11. कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो :

ह/- (मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक या निदेशक)	ह/- (अध्यक्ष सीएसआर समिति)	ह/- [इस अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां कहीं लागू हो)

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR FINANCIAL YEAR COMMENCING ON OR AFTER 1ST DAY OF APRIL, 2020

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

2. Composition of CSR Committee:

Sl. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
1			
2			
3			
	TOTAL		

6. Average net profit of the company as per section 135(5).

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)

   (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.

   (c) Amount required to be set off for the financial year,

if any

(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c).

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.

(b) Details of CSR amount spent against **ongoing projects** for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No).	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Rs.).	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation - Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State.	District.						Name	CSR Registration number.
1.												
2.												
3.												
	TOTAL											

(c) Details of CSR amount spent against **other than ongoing projects** for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No).	Location of the project.		Amount spent for the project (in Rs.).	Mode of implementation - Direct (Yes/No).	Mode of implementation - Through implementing agency.	
				State.	District.			Name.	CSR registration number.
1.									
2.									
3.									
	TOTAL								

(d) Amount spent in Administrative Overheads

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs).	Date of transfer.	
1.							
2.							
3.							
	TOTAL						

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for **ongoing projects** of the preceding financial year(s):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	Project ID.	Name of the Project.	Financial Year in which the project was commenced.	Project duration.	Total amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs).	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)	Status of the project - Completed /Ongoing.
1.								
2.								
3.								
	TOTAL							

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year

(asset-wise details).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).

Sd/- (Chief Executive Officer or Managing Director or Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).	Sd/- [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act] (Wherever applicable).

"

<u>अनुलग्नक - 2 / **Annexure - 2**</u>

<u>कार्पोरेट सामाजिक दायित्व / **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**</u>

परियोजना का प्रस्ताव / **PROJECT PROPOSAL**

1. यूनिट / कार्यालय का नाम-
   Name of the Unit / Office:

2. प्रस्तावित सीएसआर परियोजना का शीर्षक (स्थल के साथ) –
   Title of the proposed CSR Project (with location):

3. परियोजना के उद्देश्य-
   Project Objectives:

4. परियोजना क्षेत्र का पता (के पते) - (कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 135, अनुसूची VII और उनके संशोधनों के अनुसार)
   Project addresses the area(s): (as per Section 135, Schedule VII of Companies Act, 2013 & amendments thereof):

   i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना तथा सफाई को संवर्धित करने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थापित स्वच्छ भारत कोष के प्रति योगदान देने सहित साफ सफाई को बढ़ावा देना;

      Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive health care and sanitation, including contribution to the Swachh Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water;

   ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, वृद्धों तथा विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाते हुए तथा आजीविका वर्धन परियोजनाओं में विशेष शिक्षा एवं नियोजन प्रदान करने सहित शिक्षा को संवर्धित करना;

      Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and differently abled and livelihood enhancement projects;

   iii) लिंग समानता को संवर्धित करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए आवास-गृह एवं छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रमों की स्थापना करना, दिन में देखभाल केन्द्रों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को कम करने के उपाय करना;

      Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans, setting up old age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;

   iv) गंगा नदी के पुनरोद्धार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थापित स्वच्छ गंगा निधि के प्रति योगदान देने सहित पर्यावरणीय निर्वहनीयता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति और जीव-जंतुओं का संरक्षण, प्राणी कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और मृदा, वायु और जल की गुणता बनाए रखना।

      Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro-forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water, including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga;

v) ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों का जीर्णोद्धार करना, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास सहित प्राकृतिक विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण;

Protection of natural heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art, setting up public libraries, promotion and development of traditional arts and handicrafts;

vi) सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्धजनित विधवाओं और उनके आश्रितों के हितार्थ उपाय करना; केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) तथा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं सहित उनके आश्रितों के हितार्थ उपाय करना;

Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents; Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows;

vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त खेलों, पैरालिम्पिक खेलों तथा ओलम्पिक खेलों का संवर्धन करने हेतु प्रशिक्षण;

Training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympic sports and Olympic sports;

viii) प्रधान मंत्री राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात परिस्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स निधि) या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत एवं कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान देना;

Contribution to the Prime Minister's Relief Fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;

ix) (a) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त-पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी या चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए योगदान; तथा

Contribution to incubators or Research and Development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

(b) सरकार द्वारा वित्त-पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.); राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के तहत संस्थापित स्वशासी निकाय; जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.); विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); भैषज विभाग – आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होमियोपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य निकाय जैसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) को अंशदान जो संधारणीय विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को संवर्धित करने पर लक्षित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा में अनुसंधान कार्य करने में लगे हैं।

Contributions to public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of

Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani,_Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defense Research and Development Organisation (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs).

x) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ / Rural development projects;

xi) गंदी बस्ती क्षेत्र का विकास / Slum area development.

स्पष्टीकरण - इस मद के प्रयोजनार्थ, पदबंध 'गंदी बस्ती क्षेत्र' का अर्थ ऐसे क्षेत्र से होगा जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या वर्तमान में प्रचलित किसी विधि के तहत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो ।

Explanation - For the purpose of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force.

xii) आपदा प्रबंधन जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण संबंधी कार्य शामिल हैं।
Disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

5. परियोजना का संक्षिप्त विवरण-
Brief description of the Project:

6. अधिकार क्षेत्र (संक्षेप में बताएं)-
Justification (Explain briefly):

7. प्रभाव की परिकल्पना / Impact envisaged:
(अनुलग्नक-1 के अनुसार विवरण दें)
(to be furnished as per Enclosure-1)

8. परियोजना का प्रकार- चालू (बहुस्तरीय) / चालू परियोजना के अलावा (एकल-स्तरीय)
Type of Project: On-going (Multi-year) / Other than on-going (single-year)

9. कार्यान्वयन (संक्षेप में बताएं) / Implementation (Explain briefly):

9.1 कार्यान्वयन की कार्य-प्रणाली-
Methodology of Implementation

9.2 आवश्यक आंतरिक संसाधन (जनशक्ति, अवसंरचना, कार्पोरेट सहयोग आदि)
Internal Resources required (Manpower, infrastructure, corporate support etc.)

9.3 आवश्यक बाह्य संसाधन (सरकार संस्थानों / एनजीओ के साथ साझेदारी, सांविधिक अनापत्ति / समर्थन आदि- विस्तृत जानकारी दें)
External Resources required (Partnerships with Govt. institutions/NGOs, statutory clearances / support etc. – describe in detail)

10. परियोजना की समय-सीमा के साथ कार्यान्वयन की अनुसूची-
(परियोजना को पूरा करने का अनुमानित समय - मीलपत्थरों के साथ)

Implementation schedule with Project Timeframe:
(approx. time to complete the Project – with milestone chart)

11. पणधारकों को अनुलाभ (संक्षेप में बताएं)-
Benefits to the stakeholder (Explain briefly):
    a) मूर्त
    Tangible
    b) अमूर्त
    Intangible

12. ब्रांड निर्माण और कार्पोरेट छवि –
(अनुलग्नक-2 के अनुसार जानकारी दें)
Brand building & Corporate Image:
(to be furnished as per Enclosure-2)

13. वित्तीय आवश्यकताएं (रु. लाख में)-
(मदवार लागत विवरण देते हुए एक अलग कार्य-पत्र संलग्न करें)
Financial Requirements (Rupees Lakhs):
(Attach separate worksheet giving itemized cost details)

14. वर्ष-वार निधि की आवश्यकता (रु. लाख में) –
Year-wise Fund Requirement (Rupees Lakhs):

यूनिट एचआर / सीएसआर प्रमुख
UNIT HR/CSR HEAD

यूनिट प्रमुख / **UNIT HEAD**

प्रति- प्रमुख (एचआर)/सीओ
To: Head (HR)/CO

कार्यकारी निदेशक द्वारा
Thro': Functional Director

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHARAT ELECTRONICS LIMITED
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, एचआर/सीओ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, HR/CO

यूनिट / कार्यालय-
UNIT / OFFICE:

प्रस्ताव के चरण पर संभावित प्रभाव का आकलन करने का प्रारूप
FORMAT FOR ASSESSING LIKELY IMPACT IN THE PROPOSAL STAGE:

क्र.सं. S. No	विवरण / PARTICULARS	यूनिट द्वारा दी गई जानकारी / UNIT RESPONSE	
1	सीएसआर परियोजना का शीर्षक CSR Project Title		
2	परियोजना का स्थान / Project Location		
3	अनुसूची VII के तहत क्षेत्र Sector under Schedule VII		
4	आशयित हितलाभी Intended Beneficiaries		
5	सामाजिक प्रभाव डालने वाली परिमापियाँ SOCIAL IMPACT PARAMETERS	(i) सांस्कृतिक बदलाव Cultural change	हाँ / नहीं Yes/No
		(ii) अत्याधुनिक अवसंरचना State-of-art infrastructure	हाँ / नहीं Yes/No
		(iii) सीखने का अनुकूल परिवेश Conducive learning environment	हाँ / नहीं Yes/No
		(iv) लोक स्वास्थ्य में सुधार Improvement in public health	हाँ / नहीं Yes/No
		(v) जीवन स्तर में सुधार Improved quality of Life	हाँ / नहीं Yes/No
		(vi) अन्य- स्पष्ट करें / Others: Specify	
6	आर्थिक प्रभाव डालने वाली परिमापियाँ ECONOMIC IMPACT PARAMETERS	(i) वर्धित नियोजनीयता Enhanced Employability	हाँ/नहीं Yes/No
		(ii) राजस्व सृजन Revenue generation	हाँ/नहीं Yes/No
		(iii) गरीबी उन्मूलन Poverty alleviation	हाँ/नहीं Yes/No

		(iv) अन्य- स्पष्ट करें / Others: Specify	
7	पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली परिमापियाँ ENVIRONMENTAL IMPACT PARAMETERS	(i) नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग Utilization of renewable energy sources	हाँ/नहीं Yes/No
		(ii) हवा, पानी, मिट्टी की गुणता बनाया रखना / बढ़ाना Maintaining / Enhancing quality of air, water & soil	हाँ/नहीं Yes/No
		(iii) जैव विविधता / Biodiversity	हाँ/नहीं Yes/No
		(iv) संतुलित परितंत्र / Balanced Ecosystem	हाँ/नहीं Yes/No
		(v) अन्य- स्पष्ट करें / Others: Specify	

संस्तुति / **RECOMMENDATION:**

यूनिट सीएसआर / एचआर प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Unit CSR/HR Head

दिनांक / **Date:**

<u>अनुलग्नक</u> – **2** / **Enclosure-2**

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड / **BHARAT ELECTRONICS LIMITED**

<u>कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, मा.सं./काओं **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, HR/CO**</u>

यूनिट / कार्यालय-
UNIT / OFFICE:

<u>ब्रांड निर्माण और कार्पोरेट छवि के लिए प्रारूप **(प्रस्ताव के चरण में)-**</u>

<u>FORMAT FOR BRAND BUILDING & CORPORATE IMAGE (proposal stage):</u>

क्र.सं **S.No**	विवरण / **PARTICULARS**	यूनिट की प्रतिक्रिया / **UNIT RESPONSE**	
1	सीएसआर परियोजना का शीर्षक CSR Project Title		
2	परियोजना का स्थान Project Location		
3	अनुसूची VII के तहत सेक्टर Sector under Schedule VII		
4	क्या परियोजना ने निर्धारित उद्देश्य पूरा किया? Does the Project address a Cause?	(i) सामाजिक Social	हाँ / नहीं Yes/No
		(ii) राष्ट्रीय National	हाँ / नहीं Yes/No
		(iii) अंतरराष्ट्रीय International	हाँ / नहीं Yes/No
		विस्तृत जानकारी दें / Specify details:	
5	प्रतिभागी / देखने वाले / सामविष्टि / हितलाभियों की सं. Footfall / Viewership / Coverage / No. of beneficiaries		
6	ब्रांड निर्माण की रणनीति- BRAND BUILDING STRATEGY:	(i) बीईएल की नामशैली (लोगो) के साथ आर्च बनाना Erecting Arch with BEL Logo	हाँ / नहीं Yes/No
	(a) बीईएल लोगो का प्रदर्शन परियोजना के स्थान में प्रमुख / दृश्य स्थानों पर प्रमुखता से किया जाएगा । Display of BEL Logo shall be done prominently at prime /	(ii) बीईएल लोगो के साथ होर्डिंग बनाना और सीएसआर गतिविधियों का विवरण Erecting Hoardings with BEL Logo & details of CSR activities	हाँ / नहीं Yes/No
		(iii) सिविल अवसंरचना पर सीमेंट में बीईएल लोगो उकेरना Engraving BEL Logo in cement on civil structure	हाँ / नहीं Yes/No

	visible locations in the project site. (b) सिविल संरचनाओं/आर्च/होर्डिंग्स पर बीईएल लोगो आकर्षण का केंद्र हो। BEL Logo displayed prominently in the right place on civil structures / arches / hoardings shall be the cynosure of all eyes. (c) प्रदर्शित बीईएल लोगो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। BEL Logo displayed shall be conspicuously visible from a distance. (d) समुदाय/सरकारी निकाय / अन्य पणधारकों के साथ जुड़ाव Engagement with Community / Govt. bodies / other stakeholders	(iv) ग्रेनाइट/स्टैनलेस स्टील में बोर्ड का उद्घाटन Inauguration Board in Granite / Stainless Steel	हाँ / नहीं Yes/No
		(v) एल्यूमिनियम कंपोज़िट पैनल (एसीपी) बोर्ड में बीईएल लोगो BEL Logo on Aluminium Composite Panel (ACP) Boards	हाँ / नहीं Yes/No
		(vi) फर्नीचर / उपकरण में बीईएल लोगो के साथ स्टैनलेस स्टील लेबल जड़ना Stainless Steel Label with BEL Logo riveted on Furniture / Equipment	हाँ / नहीं Yes/No
		(vii) बीईएल द्वारा समर्पित सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित बीईएल लोगो BEL Logo in-built into the Software donated by BEL	हाँ / नहीं Yes/No
		(viii) प्रिंट मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति Press Release in Print Media	हाँ / नहीं Yes/No
		➢ टीवी चैनल / TV Channels ➢ सोशल मीडिया / Social Media (ट्विटर हैंडल/फेसबुक पेजTwitter Handle / Facebook page)	हाँ / नहीं Yes/No हाँ / नहीं Yes/No
		(ix) अन्य - स्पष्ट करें / Others: Specify	
7	कार्पोरेट छवि की अनुभूति Perception of Corporate Image	(i) वर्धित कार्पोरेट छवि Enhanced Corporate Image	हाँ / नहीं Yes/No
		(ii) सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी Socially Responsible Company	हाँ / नहीं Yes/No
		(iii) परिवेश हितैषी कंपनी Environment friendly company	हाँ / नहीं Yes/No

		(iv) अन्य-स्पष्ट करें / Others: Specify ....

संस्तुति / **RECOMMENDATION:**

यूनिट सीएसआर / एचआर प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Unit CSR/HR Head

दिनांक / **Date:**